न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान:– सरपंच ग्राम पंचायत दादिया बनाम तहसीलदार सीकर
किस्म:– प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957
मु.न.– 103 / वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र
24.06.2025	तहसीलदार, सीकर ने पत्र क्रमांक–राजस्व/ /2025/799 दिनांक 25.06.2024 द्वारा राजस्व ग्राम दिनारपुरा पटवार हल्का दादिया, तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 460 तथा खसरा नम्बर 461 में से गुजर रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् रास्ते का प्रस्ताव भिजवाया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम दिनारपुरा पटवार हल्का दादिया, तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 460 तथा खसरा नम्बर 461 में से मौके पर रास्ता चालू हैं तथा आवागमन के काम में लिया जा रहा हैं तथा रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में समस्त खातेदारों द्वारा प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हैं तथा खसरा न. 460 रकबा 0.85 हैक्ट में से 0.0496 हैक्ट तथा भूमि खसरा नम्बर 461 रकबा 0.60 हैक्ट में से 0.0245 हैक्ट वाके ग्राम दीनारपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि को रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)